14

संख्या– 210 / XXVII(7)02 / 2010

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

विषयः राजकीय कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक संस्थानों के कार्मिकों को अनुमन्य मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुनरीक्षित / अपुनरक्षित वेतनमान में कार्यरत उक्त कार्मिकों को वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–82 / XXVII(7)02 / 2010 दिनांक 08 जून, 2015 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2015 से मंहगाई भत्ता क्रमशः पुनरीक्षित वेतन में कार्यरत कार्मिकों को उनके मूल वेतन के 113 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित वेतन में कार्यरत कार्मिकों को उनके मूल वेतन के 223 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1 / 3 / 2015–ई.II(बी) दिनांक 23 सितम्बर, 2015 एवं संख्या–1(3) / 2008–ई.II(बी) दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 के क्रम में वित्त विभाग के ऊपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 08 जून, 2015 में उल्लिखित मंहगाई भत्ते की दरों को अतिक्रमित करते हुए क्रमशः पुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों को उन्हें वर्तमान में अनुमन्य मंहगाई भत्ते में 06 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2015 से मंहगाई भत्ता 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित वेतनमानों में कार्यरत कार्मिकों के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उनके मूल वेतन के 223 प्रतिशत से बढ़ाकर 234 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– शासनादेश संख्या–1–1599 / दस–42 (एम) / 97, 23, नवम्बर, 1988 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 07 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्तवत् स्वीकृत मंहगाई भत्तें के सम्बन्ध में यथावत् लागू होंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत / संशोधित मंहगाई भत्ता उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 तक (सेवानिवृत्त एवं 6 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 नवम्बर, 2015 से नकद भुगतान किया जाएगा परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों, जो अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, के अवशेष (एरियर) में से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा करते हुए शेष धनराशि एन0एस0सी0 के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

5— उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
सचिव।

संख्या— २।० /xxvii(7)02/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपक्रम/निकाय के कार्मिकों को उक्तानुसार बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
10. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं—261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली—110001।
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
15. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
16. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनुसचिव।